राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 913/2013/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, डूंगरपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नाहर इण्डस्ट्रीयल एन्टरप्राईजेज लि.,
भिवाडी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 244/आरवेट/2010–11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 16.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उडनदस्ता, डूंगरपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 69,861/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2009 को वाहन संख्या आरजे–02जी–5487 को बिछिवाडा, डूंगरपुर में रोक कर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा दी गोल्डन ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन का जी.आर. संख्या–4554, 4552 व 4555 तथा नाहर इण्डस्ट्रीयल एन्टरप्राईजेज लि., भिवाडी का इनवाईस संख्या 412390, 412382 व 412391 दिनांक 04.03.2009 एवं घोषणा प्रपत्र वैट–49 संख्या 3319821 व 3319820 प्रस्तुत किया। सशक्त अधिकारी द्वारा जांच में पाया कि उक्त वाहन में इन्वाईस संख्या 412391 से संबंधित घोषणा प्रपत्र वैट–49 नहीं है। सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब दिया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा उक्त घोषणा पत्र वैट–49 संख्या 3319822 ट्रांसपोर्ट कार्यालय में ही रह गया था, एवं पूर्ण रूप से भरा वैट–49 पेश कर दिया। प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर को

लगातार.....2

पश्चात्वर्ती सोच मानकर उससे असंतुष्ट होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रूपये 69,861/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.12.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के परिवहन के समय वैट–49 एक आवश्यक दस्तावेज है, जो कि वक्त जांच प्रत्यर्थी व्यवहारी के साथ नहीं पाया गया, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध बतलाते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वक्त जांच वैट–49 का नहीं पाया जाना वाहन चालक/माल प्रभारी की महज एक भूल थी, क्योंकि वैट–49 ट्रांसपोर्ट कार्यालय में रह जाने के कारण वह वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिसका बाद में सुधार किया जाकर नोटिस के जवाब की पालना के साथ सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। इस पर सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने **माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1166/2010/जयपुर मैसर्स ए.बी.बी.लि. बनाम एसीटीओ आदेश दिनांक 04.03.2016 को उद्धरित किया।** अपने कथन को जारी रखते हुए उन्होने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त जांच, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित किये जा रहे माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट–49 नहीं पाया गया, जो कि उनके द्वारा नोटिस के जवाब के साथ बाद में पेश कर दिया गया था। इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1166/2010/जयपुर मैसर्स ए.बी.बी.लि. बनाम एसीटीओ आदेश दिनांक 04.03.2016** द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–49 प्रस्तुत कर दिये जाने से अधिनियम की धारा 76 में कोई उल्लंघन कारित नहीं होता है। सशक्त अधिकारी को संचलन के दौरान परिवहनित माल की जांच के

लगातार.....3

समय विक्रय संव्यवहार की प्रकृति का निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट है। विस्तृत कारणों सहित दिया गया है, जो उचित है। अतः उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य